टी बोर्ड

14, बिप्लवी त्रैलोक्य महाराज सरणी,

कोलकाता-700 001

दिनांक: **26.05.2023**

कार्यालय आदेश सं 15/2023

टी बोर्ड की दैनिक गतिविधियों को सुचारु रूप से चलाने के लिए, निम्नलिखित वित्तीय शक्तियों को टी बोर्ड के निम्नलिखित अधिकारियों के पक्ष में कार्यालय आदेश संख्या फिन/आदेश/2010-11/120112 दिनांक 12.01.2012 द्वारा प्रत्यायोजित किया गया था:-

क्र.सं.	अधिकारी का स्तर	अनुमोदन शक्ति	
		आवर्ती	गैर-आवर्ती
1.	उपाध्यक्ष	प्रत्येक अवसर पर 1,00,000/- रुपये तक	प्रत्येक अवसर पर 2,00,000/- रुपये तक
2.	सचिव	प्रत्येक अवसर पर 50,000/- रुपये तक	प्रत्येक अवसर पर 1,00,000/- रुपये तक *

* अनावर्ती अनुमोदन रुपये 25.00 लाख प्रति वर्ष की वार्षिक सीमा के अधीन होगा।

यह बताया गया है कि अधिकांश विभागाध्यक्ष/अनुभाग/शाखाएं उपनिदेशक के समक्ष पूर्वोक्त कार्यालय आदेश का कड़ाई से पालन किए बिना फाइलें प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसे सचिव द्वारा अपनी स्वीकृति शक्ति का प्रयोग करते हुए संस्वीकृत किया जा सकता था।

इसलिए, बोर्ड के मुख्यालय, कोलकाता के सभी विभागाध्यक्षों/अनुभागों/शाखाओं से अनुरोध है कि उपाध्यक्ष के समक्ष वित्तीय स्वीकृति हेतु फाइल जमा करते समय पिछले कार्यालय आदेश संख्या फिन/आदेश/2010-11/120112 दिनांक 12.01.2012 का सख्ती से पालन करें।

इसे उपाध्यक्ष के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(डॉ ऋषिकेश राय)
सचिव (प्रभारी)

वितरण :-

1.	बोर्ड के मुख्यालय, कोलकाता के सभी विभागाध्यक्ष (उपाध्यक्ष व सचिव को छोड़कर)	कृपया अनुपालन हेतु
2.	बोर्ड के मुख्यालय,कोलकाता के सभी अनुभाग/शाखा	कृपया अनुपालन हेतु
3.	वि.स. एवं मु.ले.अ.	
4.	उपाध्यक्ष व सचिव के नि.सह	
5	आईटी कक्ष	बोर्ड के वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित
6.	टीबीइए	
7.	स्थापना शाखा	अतिरिक्त प्रतियों सहित

Ref. File No. 7(1)/Estt/2019/Part-III